अंचल अधिकारी का कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
आदेश फलक

श्री शिव कुमार अग्रवाल ई0 का लगान निर्धारण से संबंधित अभिलेख संख्या.....14..... / 2015–16

दिनांक	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई
12/12/15	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धालभूम, जमशेदपुर के पत्रांक 1322 / रा0, दिनांक 10.12.2015 के द्वारा श्री शिव कुमार अग्रवाल, पिता स्व0 धरमपाल अग्रवाल ई0, सा0–मानगो, जमशेदपुर द्वारा आवेदन पत्र समर्पित कर लगान निर्धारण करने का अनुरोध किया गया है । इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल अमीन राजस्व अभिलेख एव स्थल जाँच कर अपना जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रस्तुत करें । सर्वसाधारण सूचना निर्गत करें । अभिलेख दिनांक ....8·1·16....... को उपस्थापित करें । 12/12/15 अंचल अधिकारी जमशेदपुर	

दिनांक	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई
20/01/16	अभिलेख उपस्थापित । आम इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ । किसी प्रकार का कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ । राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है । जाँच प्रतिवेदन के अनुसार मौजा–अधिसूचित क्षेत्र मानगो, वार्ड नं0–10, खाता नं0–727, प्लॉट नं0–211 हाल सर्वे खतियान के अनुसार अनाबाद बिहार सरकार के नाम पर खतियान दर्ज है । खतियान के कैफियत कॉलम में अवैध दखल आफताब अहमद खान इन्द्राज है । खतियान के इस इन्द्राज के विरूद्ध आवेदकों ने माननीय मुन्सिफ न्यायालय में टाईटल सूट नं0–90/2000 के द्वारा टाईटल सूट मुकदमा दायर किया, जिसमें न्यायालय ने आवेदकों के विरूद्ध तथा सरकार के पक्ष में आदेश पारित किया था । सुरोना बनर्जी ने माननीय मुन्सिफ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध टाईटल अपील नं0–30/2006 के द्वारा माननीय 1st Add. Dist. Judge के न्यायालय में अपील वाद दायर किया, जिसमें निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को Set aside करते हुए सुरोना बनर्जी के पक्ष में decree प्रदान किया है । डिक्री प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने शिव कुमार अग्रवाल एवं मंजु देवी को निबंधित दलील द्वारा उक्त भूमि बिक्री कर दिया है । संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल अमीन के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त भूमि का आवेदकों का दखल कब्जा है । संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने प्लॉट नं0–211 रकबा 0.06.33 हे0 भूमि का लगान 01.01.56 से 81–82 तक 10/– रू0 प्रति एकड़, 1982–83 से 1997–98 तक 3/– रू0 प्रति कट्ठा एवं 1998–99 से 2015–16 तक 10/– रू0 प्रति डिसमिल अलावे सेस लगान निर्धारण हेतु अनुशंसा किया है । अतः संबंधित राजस्व कर्मचारी, अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं 1st Adl. Dist. Judge, Jsr के न्यायालय से पारित आदेश के	

आलोक में आवेदक श्री शिव कुमार अग्रवाल, पिता धरम नाथ अग्रवाल ई0 के नाम पर प्रश्नगत भूमि लगान निर्धारण हेतु अनुशंसा किया जाता है । अभिलेख अग्रतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जमशेदपुर को भेजें ।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी
जमशेदपुर

अंचल अधिकारी
जमशेदपुर

Certified to be True Copy
Md. Yusuf
Head Clerk
Circle Office
Golmuri Cum-Jugsalai

लगान निर्धारण वाद सं0–14 / 15–16

आदेश	अभ्युक्ति

अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अधिकारी, जमशेदपुर के पत्र सं0–164, दिनांक 20.01.16 द्वारा लगान निर्धारण वाद सं0–14 / 15–16 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रश्नगत भूमि की विवरणी निम्न प्रकार हैः–

मौजा	वार्ड नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा	किस्म जमीन
जमशेदपुर अधिसुचित क्षेत्र	10	727	211	0.06.33 हे0	

कुल 0.06.33 हे0

अंचल अधिकारी, जमशेदपुर के प्रतिवेदन के अनुसार मौजा–जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, वार्ड नं0–10, खाता नं0–727, प्लॉट नं0–211 प्रश्नगत भूमि हाल सर्वे खतियान के अनुसार अनावाद बिहार सरकार के नाम से दर्ज है तथा खतियान के कैफियत कॉलम में अवैध दखल आफताब अहमद खान इन्द्राज है। खतियान के इस इन्द्राज के विरूद्ध आवेदकों ने माननीय मुन्सिफ न्यायालय में टाईटल सूट नं0– 90 / 2000 के द्वारा टाईटल सूट मुकदमा दायर किया, जिसमें माननीय न्यायालय ने आवेदकों के विरूद्ध तथा सरकार के पक्ष में आदेश पारित किया था।

सुरोना बनर्जी ने माननीय मुन्सिफ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध टाईटल अपील नं0– 30 / 2006 के द्वारा माननीय 1st Addl. Dist. Judge के न्यायालय में अपील वाद दायर किया, जिसमें निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को Setaside करते हुए सुरोना बनर्जी के पक्ष में Decree प्रदान किया है। डिक्री प्राप्त करने के पश्चात् इन्होंने शिव कुमार अग्रवाल एवं मंजू देवी को निबंधित दलील द्वारा उक्त भूमि बिक्री कर दिया है। संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल अमीन के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त भूमि का आवेदकों का दखल कब्जा है।

अंचल अधिकारी, जमशेदपुर द्वारा प्लॉट नं0– 211, रकवा– 0.06.33 हे0 भूमि का लगान 01.01.56 से 81–82 तक 10 / – रू0 प्रति एकड़, 1982–83 से 1997–98 तक 3 / – रू0 प्रति कट्ठा एवं 1998–99 से 2015–16 तक 10 रू0 प्रति डिसमिल अलावे सेस की दर से लगान निर्धारण हेतु अनुशंसा किया गया है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों, अभिलेख के साथ संलग्न कागजात रेन्ट रॉल, ट्रेश नक्शा, 1st Addl. Dist. Judge, Jsr के न्यायालय से पारित आदेश तथा अंचल अधिकारी, जमशेदपुर के लगान निर्धारण हेतु अनुशंसा के आलोक में नामान्तरण के पश्चात् मौजा–जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र वार्ड नं0–2 खाता नं0–727 खेसरा नं0–211 एवं रकवा– 0.06.33 हे0 भूमि का वार्षिक लगान 01.01.56 से 81–82 तक 10/– रू0 प्रति एकड़, 1982–83 से 1997–98 तक 3/– रू0 प्रति कट्ठा एवं 1998–99 से 2015–16 तक 10 रू0 प्रति डिसमिल अलावे सेस की दर से शिव कुमार अग्रवाल, पिता धरम नाथ अग्रवाल इत्यादि, सा0– मानगो से लगान वसूली हेतु लगान निर्धारण की स्वीकृति दी जाती है।

अभिलेख मूलरूप में अंचल अधिकारी, जमशेदपुर को भेजे।

लेखापित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
धालभूम, जमशेदपुर।

Certified to be True Copy

Head Cleark
Circle Office
Golmuri Cum-Jugsalai

दिनांक	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई
27/01/16	अभिलेख उपस्थापित । भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धालभूम, जमशेदपुर के पत्रांक 80/रा0, दिनांक 23.01.2016 के द्वारा लगान निर्धारण अभिलेख संख्या 14/2015–16 अभिलेख प्राप्त हुआ है । प्राप्त अभिलेख में दिनांक 23.01.2016 को पारित आदेश के आलोक में पंजी ।। में प्रविष्टि कर की गई कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करावें । 27/01/16 अचल अधिकारी जमशेदपुर [illegible] Certified to be True Copy Head Cleark Circle Office Golmuri Cum-Jugsal	

अंचल अधिकारी का कार्यालय, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम

आदेश

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धालभूम, जमशेदपुर के पत्रांक 80/रा0, दिनांक 23.01.2016 के द्वारा लगान निर्धारण अभिलेख संख्या 14/2015–16 मूल में स्वीकृति आदेश के पश्चात प्राप्त हुआ है । दिनांक 23.01.2016 को पारित आदेश में मौजा–अधिसूचित क्षेत्र मानगो, वार्ड नं0–10, खाता नं0–727, प्लॉट नं0–211, रकवा 0.06.33 हे0 भूमि का वार्षिक लगान 01.01.56 से 81–82 तक 10/– रू0 एकड़, 1982–83 से 1997–98 तक 3/– रू0 प्रति कट्ठा एवं 1998–99 से 2015–16 तक 16.50 रू0 प्रति कट्ठा अलावे सेस वसूली हेतु श्री शिव कुमार अग्रवाल, पिता धरम नाथ अग्रवाल ईत्यादि, सा0–मानगो के नाम पर लगान निर्धारण स्वीकृत किया गया है ।

अतः संबंधित राजस्व कर्मचारी को निर्देश दिया जाता है कि निदेश के आलोक में उपरोक्त भूमि के जमाबंदी पंजी में प्रविष्टि करते हुए श्री शिव कुमार अग्रवाल, पिता धरम नाथ अग्रवाल ईत्यादि के नाम पर लगान रसीद निर्गत करना सुनिश्चित करें तथा की गई कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करावें ।

29/1/16
अंचल अधिकारी
जमशेदपुर

ज्ञापांक 245 दिनांक 29.1.16

प्रतिलिपि : संबंधित राजस्व कर्मचारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

29/1/16
अंचल अधिकारी
जमशेदपुर